प्रेस विज्ञप्ति
2/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ज़ोनल कार्यालय ने 30.06.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), राँची के समक्ष अपनी 5वीं पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। यह शिकायत साहिबगंज, झारखंड में चल रहे अवैध खनन और जबरन वसूली सिंडिकेट के खिलाफ चल रही एक बृहद धन-शोधन जांच का हिस्सा है। इस फाइलिंग के साथ, ईडी ने अब तक इस मामले में दायर छह अभियोजन शिकायतों (एक मूल और पांच पूरक) के माध्यम से कुल 19 व्यक्तियों और संस्थाओं को आरोपित किया है।

मौजूदा शिकायत में आठ अतिरिक्त व्यक्तियों और दो कंपनियों की भूमिका को उजागर किया गया है, जिन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री के तत्कालीन राजनीतिक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा द्वारा संचालित आपराधिक नेटवर्क का अभिन्न अंग पाया गया है। नए आरोपितों में राजेश यादव उर्फ दाहू यादव शामिल है, जिसकी पहचान एक प्रमुख गुर्गे के रूप में की गई है, जिसने गंगा नदी के पार पत्थरों के अवैध परिवहन का प्रबंधन किया और खनिजों की बड़े पैमाने पर तस्करी को सक्षम करने के लिए फर्जी नौका निविदा को वित्तपोषित किया। मिर्जा चौकी क्षेत्र से काम करने वाले हीरा लाल भगत ने अपनी फर्म मेसर्स जय मां भवानी स्टोन वर्क्स का इस्तेमाल अवैध खनन कार्यों को चलाने के लिए किया और उसके पास 3.13 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाबी नकदी पाई गई, जो सीधे तौर पर अपराध की आय को उजागर करती है।

जांच में यह भी पता चला कि निमाय चंद्र शील ने सिंडिकेट के सरगना पंकज मिश्रा के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची थी। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर धोखाधड़ी से खनन का पट्टा हासिल किया और बदले में 50% लाभ में हिस्सा लिया। इस बीच, मेसर्स मरीन इंफ्रालिंक लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक यश जालान ने जानबूझकर सिंडिकेट के अवैध पत्थर परिवहन कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए जहाज एम.वी. इंफ्रालिंक-III उपलब्ध कराया, जिसके लिए सिंडिकेट की अवैध खनन आय से 2.75 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

ईडी की जांच झारखंड पुलिस द्वारा पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ आईपीसी और आर्म्स एक्ट के विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, यह पता चला कि राजनीतिक प्रभाव का लाभ उठाकर, मिश्रा ने साहिबगंज में अवैध खनन, जबरन वसूली और खनिज परिवहन के एकाधिकार में लगे एक व्यापक सिंडिकेट का मुख्य रूप से संचालन किया, जिससे अपराध की आय 1000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

इस पूरक शिकायत को दर्ज करने के साथ ही ईडी ने यह प्रदर्शित करके अपने मामले को और मजबूत कर लिया है कि किस तरह विभिन्न संचालकों ने - चाहे फेरी सेवाओं के वित्तपोषण के माध्यम से, अवैध खनन स्थलों का प्रबंधन करने के माध्यम से, या कॉर्पोरेट मोर्चों के माध्यम से आय को वैध बनाने के माध्यम से - सामूहिक रूप से सिंडिकेट के आपराधिक उद्यम को बनाए रखा। ईडी ने अब तक 5.34 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, एक अंतर्देशीय जहाज, पांच औद्योगिक स्टोन क्रशर, कई वाहन और 13.32 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक बैलेंस सहित कई संपत्तियों को जब्त और फ्रीज किया है।

उल्लेखनीय है कि राजेश यादव उर्फ दाहू यादव अभी भी फरार है। आगे की जांच जारी है।